

झारखण्ड सरकार

उद्योग विभाग

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय

पत्र संख्या

64 (अ.सं.)

/राँची, दिनांक

18/03/2025

2/ह0रे0ह0नि0/बजट/आव0/रेशम-06-01/2024

प्रेषक,

आकांक्षा रंजन

निदेशक,

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प

सेवा में,

अवर सचिव

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय

झारखण्ड, राँची।

विषय— वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना व्यय के निमित्त रेशम का विकास अन्तर्गत स्थापना व्यय वहन करने हेतु कुल रु 9,000 (नौ हजार रुपये) मात्र का उप आवंटन के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2024-25 अन्तर्गत 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग -06-रेशम के विकास अन्तर्गत स्थापना मद में व्यय हेतु कुल रु 9,000 (नौ हजार रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन निम्नवत आवंटित किया जाता है:-

क्र0	मदवार	विपत्र कोड	वर्तमान में निर्गत हेतु आवंटित राशि
1.	वेतन	28510010706000101	9,000
योग-			9,000

(नौ हजार रुपये) मात्र

- इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थापना व्यय बजट शीर्ष- "2851- ग्राम तथा लघु उद्योग -107-रेशम उत्पादन उद्योग -06- रेशम के विकास की योजना- अन्तर्गत विकलित होगा तथा राशि की निकासी हेतु विपत्र पर विपत्र कोड अंकित करना अनिवार्य होगा। यह स्थापना व्यय के अन्तर्गत स्थायी कार्यालय है।
- यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट उपबंध तथा आवंटनादेश संख्या-02 दिनांक 03.04.2024 तथा आवंटनादेश संख्या-07 दिनांक 20.12.2024 के अन्तर्गत है।
- यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/राँची, दिनांक 17.04.1998 के आलोक में दिया जा रहा है। अस्तु राशि के निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में उल्लेखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्र संख्या वित्त-4-23/2003/1800 वि0, राँची दिनांक 15.07.2003 एवं वित्त-19/वित्तीय नियंत्रण/3001/ 2015-1681/वि0, दिनांक 10.06.2015 के आलोक में ही की जाएगी एवं राशि की निकासी हेतु उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- आवंटित राशि का व्यय निम्नांकित शर्तों के अनुसार किया जाएगा :-
(क) वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय एवं आवंटित राशि की निकासी हेतु विपत्र पर विपत्र कोड अंकित करना अनिवार्य होगा।

+

- (ख) एक इकाई की राशि का व्यय दूसरी इकाई में नहीं किया जाय।
(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नि 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाये।
(घ) मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 3री तारीख तक अधोहस्ताक्षरी को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।
(च) व्यय प्रतिवेदन में प्रत्येक इकाई का व्योरा अलग-अलग प्रेषित किया जाय।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का निजी दायित्व है कि वेतनादि एवं अन्य मद की राशि का अनुमान लगाकर माँग किया जाय ताकि माँग के आधार पर पुनः आवंटन निर्गत किया जा सके।
8. ऑनलाईन निर्गत आवंटन की विवरणी संलग्न है, जिसे <https://finance-jharkhand.gov.in/ifmsjhar> पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

निदेशक,

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प

ज्ञापांक 64 / राँची, दिनांक 18/03/2025

2/ह0रे0ह0नि0/बजट/आवं0/रेशम-06-01/2024

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हक0), झारखण्ड, पो0-हिनू, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प

ज्ञापांक 64 / राँची, दिनांक 18/03/2025

2/ह0रे0ह0नि0/बजट/आवं0/रेशम-06-01/2024

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प

ज्ञापांक 64 / राँची, दिनांक 18/03/2025

2/ह0रे0ह0नि0/बजट/आवं0/रेशम-06-01/2024

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय (उद्योग) मंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची / सचिव, उद्योग के प्रधान आप्त सचिव/ उप सचिव, बजट, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची एवं कम्प्यूटर कोषांग, उद्योग निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Industries Department

घातृ वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 02/HS&H.IN-01/24/64(ALLOT)

दिनांक - 18-Mar-2025

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 23 28510010706000101 2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग 00 - ग्राम तथा लघु उद्योग 107 - रेशम उत्पादन उद्योग 06 - रेशम के विकास की योजना 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते Establishment Expenditure	97014	DRNIND013 RAJEEV KR. GUPTA UNDER SECRETARY 01 - वेतन	9,000.00 रुपये नौ हजार
State Scheme : NA Central Scheme : NA				



योग: रुपये नौ हजार

9,000.00

क्रमिक योग:

(AKANKSHA RANJAN)
DIRECTOR, HS&H